

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मांग संख्या 28
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2765.33	72.42	2837.75	3576.27	145.38	3721.65	3744.79	78.38	3823.17	3820.53	93.25	3913.78
वसूलियां	-447.35	...	-447.35	-632.25	...	-632.25	-576.15	...	-576.15	-633.25	...	-633.25
प्राप्तियां	-1.10	...	-1.10	-10.00	...	-10.00	-16.00	...	-16.00	-15.00	...	-15.00
निवल	2316.88	72.42	2389.30	2934.02	145.38	3079.40	3152.64	78.38	3231.02	3172.28	93.25	3265.53
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	172.98	...	172.98	353.33	2.11	355.44	296.28	6.86	303.14	305.87	8.92	314.79
2. संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 क्षेत्रीय कार्यालय	44.91	1.50	46.41	44.00	3.00	47.00	53.30	3.00	56.30	56.00	5.00	61.00
2.02 राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	5.07	...	5.07	7.50	...	7.50	6.13	...	6.13	7.50	...	7.50
2.03 भारतीय वन सर्वेक्षण	39.50	1.50	41.00	36.17	6.83	43.00	37.39	2.59	39.98	39.17	6.83	46.00
2.04 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	40.77	4.00	44.77	41.95	10.05	52.00	48.25	6.00	54.25	63.00	8.00	71.00
2.05 राज्य वन सेवा एवं रेंजर कॉलेज	15.80	13.00	28.80	17.00	21.00	38.00	17.00	14.00	31.00	18.00	15.00	33.00
2.06 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो	10.61	...	10.61	13.35	0.15	13.50	12.20	0.15	12.35	13.00	0.50	13.50
2.07 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	75.47	6.98	82.45	84.08	51.92	136.00	89.00	12.43	101.43	112.00	15.00	127.00
2.08 भारतीय प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण	84.27	8.93	93.20	86.90	17.10	104.00	97.00	4.35	101.35	112.00	12.00	124.00
2.09 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	13.95	7.35	21.30	14.85	5.15	20.00	13.65	10.00	23.65	16.00	5.00	21.00
2.10 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	25.65	23.16	48.81	39.00	21.00	60.00	30.00	9.00	39.00	44.00	9.00	53.00
जोड़- संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय	356.00	66.42	422.42	384.80	136.20	521.00	403.92	61.52	465.44	480.67	76.33	557.00
3. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान												
3.01 सकल बजटीय सहायता	23.42	6.00	29.42	29.93	7.07	37.00	25.60	10.00	35.60	30.00	8.00	38.00
3.02 घटाएं गेट प्राप्तियां	-1.10	...	-1.10	-10.00	...	-10.00	-16.00	...	-16.00	-15.00	...	-15.00
निवल	22.32	6.00	28.32	19.93	7.07	27.00	9.60	10.00	19.60	15.00	8.00	23.00
4. राष्ट्रीय प्राधिकरण												
4.01 सकल बजटीय सहायता	240.64	...	240.64	463.25	...	463.25	456.15	...	456.15	463.25	...	463.25
4.02 राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति बनीकरण निधि से प्राप्त राशि घटाएं	-240.64	...	-240.64	-463.25	...	-463.25	-456.15	...	-456.15	-463.25	...	-463.25

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
निवल
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	551.30	72.42	623.72	758.06	145.38	903.44	709.80	78.38	788.18	801.54	93.25	894.79
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण												
5. वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण												
5.01 कार्यक्रम घटक	6.43	...	6.43
6. पारिस्थितिकी कार्य बल	80.00	...	80.00
जोड़-पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण	86.43	...	86.43
7. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण	92.86	...	92.86	75.00	...	75.00	78.34	...	78.34
राष्ट्रीय तटीय प्रबन्धन कार्यक्रम												
8. राष्ट्रीय तटीय मिशन (एनसीएम)												
8.01 कार्यक्रम घटक	16.38	...	16.38	12.50	...	12.50	43.30	...	43.30	50.00	...	50.00
पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और सतत विकास												
9. संकटमय पदार्थों का प्रबंधन (एचएसएम)												
9.01 कार्यक्रम घटक	3.95	...	3.95
10. जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	31.98	...	31.98
11. राष्ट्रीय अनुकूलन कोष	21.95	...	21.95
12. राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	26.60	...	26.60
जोड़-पर्यावरण संरक्षण, प्रबन्धन और सतत विकास	84.48	...	84.48
पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायता प्रणाली												
13. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	11.20	...	11.20
14. पर्यावरण सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस)	18.25	...	18.25
15. संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान और विकास	1.98	...	1.98
जोड़-पर्यावरण जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन हेतु निर्णय सहायता प्रणाली	31.43	...	31.43
16. पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास	87.40	...	87.40	80.00	...	80.00	87.40	...	87.40
17. प्रदूषण नियंत्रण	599.91	...	599.91	756.00	...	756.00	847.50	...	847.50	858.50	...	858.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	818.63	...	818.63	948.76	...	948.76	1045.80	...	1045.80	1074.24	...	1074.24
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामकीय निकाय												
18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	97.00	...	97.00	105.00	...	105.00	105.70	...	105.70	113.00	...	113.00
19. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	8.88	...	8.88	10.00	...	10.00	9.90	...	9.90	12.00	...	12.00
20. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण	15.50	...	15.50	16.40	...	16.40	14.10	...	14.10	16.00	...	16.00
21. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण	10.00	...	10.00	11.00	...	11.00	15.80	...	15.80	35.00	...	35.00
22. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग	12.60	...	12.60	17.00	...	17.00	13.10	...	13.10	16.00	...	16.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सांविधिक और विनियामकीय निकाय	143.98	...	143.98	159.40	...	159.40	158.60	...	158.60	192.00	...	192.00
स्वायत्त निकाय												
23. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	23.79	...	23.79	25.00	...	25.00	32.00	...	32.00	35.00	...	35.00
24. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद	246.75	...	246.75	230.00	...	230.00	483.23	...	483.23	300.00	...	300.00
25. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान	45.00	...	45.00	17.50	...	17.50	17.25	...	17.25	13.00	...	13.00
26. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	12.00	...	12.00
27. भारतीय वन्यजीव संस्थान	30.60	...	30.60	36.50	...	36.50	41.25	...	41.25	43.00	...	43.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	358.14	...	358.14	309.00	...	309.00	573.73	...	573.73	391.00	...	391.00
अन्य												
28. वास्तविक वसूली	-16.23	...	-16.23
29. सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन)	9.00	...	9.00
30. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन रोपण विकास निगम	3.62	...	3.62
31. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामले	126.09	...	126.09
32. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सामान्य सहायता अनुदान की अव्ययित शेष की वसूली घटाना	-33.18	...	-33.18
जोड़-अन्य	-40.41	...	-40.41	129.71	...	129.71
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	461.71	...	461.71	468.40	...	468.40	862.04	...	862.04	583.00	...	583.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव												
33. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन												
33.01 सॉवरन ग्रीन फंड को अंतरण	188.00	...	188.00	169.00	...	169.00	120.00	...	120.00	170.00	...	170.00
33.02 हरित भारत मिशन- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	140.70	...	140.70	167.28	...	167.28	119.43	...	119.43	170.00	...	170.00
33.03 ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (ईएपी घटक)	16.60	...	16.60	1.72	...	1.72	0.57	...	0.57
33.04 सॉवरन ग्रीन फंड से पूरी की गई राशि	-157.30	...	-157.30	-169.00	...	-169.00	-120.00	...	-120.00	-170.00	...	-170.00
33.05 वन की आग की रोकथाम और प्रबंधन	29.17	...	29.17	51.00	...	51.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
जोड़- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	217.17	...	217.17	220.00	...	220.00	160.00	...	160.00	220.00	...	220.00
34. राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण												
34.01 जैव विविधता संरक्षण	0.93	...	0.93	7.00	...	7.00	3.50	...	3.50	5.00	...	5.00
34.02 जलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण	19.38	...	19.38	38.40	...	38.40	20.60	...	20.60	35.50	...	35.50
34.03 जलीय पारिस्थिति का संरक्षण (ईएपी घटक)	0.60	...	0.60	1.60	...	1.60	0.90	...	0.90	3.00	...	3.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण	20.91	...	20.91	47.00	...	47.00	25.00	...	25.00	43.50	...	43.50
35. वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास												
35.01 बाघ परियोजना	151.97	...	151.97
35.02 हाथी परियोजना	16.30	...	16.30
35.03 वन्य जीव आवासों का विकास	59.84	...	59.84	135.00	...	135.00	109.34	...	109.34	148.00	...	148.00
35.04 वन्यजीव का पर्यावास विकास (ईएपी घटक)	19.05	...	19.05	25.00	...	25.00	1.06	...	1.06	12.00	...	12.00
35.05 बाघ और हाथी परियोजना	331.80	...	331.80	239.60	...	239.60	290.00	...	290.00
जोड़- वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास	247.16	...	247.16	491.80	...	491.80	350.00	...	350.00	450.00	...	450.00
जोड़-पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	485.24	...	485.24	758.80	...	758.80	535.00	...	535.00	713.50	...	713.50
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	485.24	...	485.24	758.80	...	758.80	535.00	...	535.00	713.50	...	713.50
कुल जोड़	2316.88	72.42	2389.30	2934.02	145.38	3079.40	3152.64	78.38	3231.02	3172.28	93.25	3265.53
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. वानिकी और वन्य जीवन	686.60	...	686.60	591.63	...	591.63	839.76	...	839.76	715.67	...	715.67
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1094.04	...	1094.04	1180.63	...	1180.63	1408.86	...	1408.86	1378.32	...	1378.32
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	160.49	...	160.49	353.33	...	353.33	296.28	...	296.28	305.87	...	305.87
4. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	...	26.00	26.00	...	48.10	48.10	...	35.74	35.74	...	43.33	43.33
5. अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	46.42	46.42	...	95.17	95.17	...	35.78	35.78	...	41.00	41.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	2.11	2.11	...	6.86	6.86	...	8.92	8.92
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1941.13	72.42	2013.55	2125.59	145.38	2270.97	2544.90	78.38	2623.28	2399.86	93.25	2493.11
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	186.00	...	186.00	175.76	...	175.76	181.84	...	181.84
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	374.72	...	374.72	619.43	...	619.43	430.48	...	430.48	576.58	...	576.58
9. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1.03	...	1.03	3.00	...	3.00	1.50	...	1.50	14.00	...	14.00
जोड़-अन्य	375.75	...	375.75	808.43	...	808.43	607.74	...	607.74	772.42	...	772.42
कुल जोड़	2316.88	72.42	2389.30	2934.02	145.38	3079.40	3152.64	78.38	3231.02	3172.28	93.25	3265.53

1 - 4. केंद्र का स्थापना व्यय: यह प्रावधान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राधिकरण सहित सचिवालय व्यय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है। अन्य स्थापना संबंधी व्यय प्रावधानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन, मीडिया, प्रचार और सूचना शामिल हैं। चार केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामतः राष्ट्रीय अनुकूलन निधि, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन, खतरनाक पदार्थ प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को गैर-योजना में अन्तर्गत किया गया है और सचिवालय के अधीन रखा गया है। आईडीडब्ल्यूएच के केंद्रीय क्षेत्र घटक - प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को भी सचिवालय के अधीन रखा गया है।

7. पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण - सर्वसमावेशी केंद्रीय क्षेत्र योजना की दो उप-योजनाएं- (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (ii) इको टास्क फोर्स हैं। योजना 'वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण' का लक्ष्य वानिकी क्षेत्र के कर्मियों के प्रशिक्षण की पूरी जरूरत को कवर करना है। इको टास्क योजना रक्षा मंत्रालय के माध्यम से दूरस्थ स्थान या गंभीर अवक्रमण के क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बहाली प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम : मंत्रालय का उत्तरदायित्व मछुआरों सहित तटीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा; वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तटीय भागों का संरक्षण, सुरक्षा का सुनिश्चित करना है और सतत विकास को बढ़ावा देना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में संरक्षण, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भी मंत्रालय उत्तरदायी है। तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना भी क्रियान्वित की गई है।

16. पर्यावरण जागरूकता, नीति, योजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए सर्वसमावेशी केंद्रीय क्षेत्र योजना निर्णय समर्थन प्रणाली को पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास के रूप में नया रूप दिया गया है: यह योजना जागरूकता पैदा करती है और प्रदर्शनियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा प्रदान करती है। अन्य उद्देश्यों में पर्यावरणीय सूचना का संग्रह, बड़े हितधारकों के लिए सूचना का प्रसार शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण के प्रावधानों में स्वच्छता कार्य योजना के प्रावधान शामिल हैं।

17. **प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की अवधारणा रखी गई है जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का वित्तपोषण शामिल है।

18-21. सांविधिक और विनियामक निकाय : मंत्रालय में चार निकाय है - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण (सीजेडए), राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)।

22. **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: एक नवनिर्मित सांविधिक और विनियामक निकाय। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु कार्य करता है।

23- 27. स्वायत्त निकाय : मंत्रालय अनुसंधान और विकास कार्यों में लगे विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों, नामतः भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआई), भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू आईआई), जी.वी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास संस्थान (जीवीपीएनआईएचईएसडी) को सहायता देता है।

29. **सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (एसएसीओएन):** पक्षी विज्ञान (ऑर्निथोलॉजी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राकृतिक इतिहास के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी। एसएसीओएन का भारतीय वन्यजीव संस्थान, स्वायत्त निकायों, एमओईएफ एंड सीसी के साथ विलय हो गया है। एसएसीओएन के लिए बजट प्रावधान डब्ल्यूआईआई के तहत रखा गया है।

30. **अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन रोपण विकास निगम:** अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन रोपण विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीएल) द्वारा किए गए इकटिरी अंशदान को बढ़ेवाते डालने के लिए सं.अ. 2023-24 में 3.62 करोड़ ₹. का प्रावधान किया गया है।

31. **भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मामले:** भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित उपचारात्मक एवं अपशिष्ट निपटान कार्यों के लिए सं.अ. 2023-24 में 126.09 करोड़ ₹. का प्रावधान किया गया है।

33. **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन:** वन क्षेत्र को बढ़ाने और मौजूदा वन भूमि की रक्षा के लिए मंत्रालय की दो योजना स्कीमें हैं, हरित भारत मिशन-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन अग्नि निवारण प्रबंधन। जीआईएम - एनएपी के लिए निधियां सांभरेन ग्रीन फंड से पूरी की जाएंगी।

34. **राष्ट्रीय संसाधन तथा पारिस्थितिकियों का संरक्षण:** देश के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी-प्रणाली के संरक्षण के लिए मंत्रालय जैव-मंडल, नमभूमि और झील जैसे क्षेत्रों में प्रयास करता रहा है।

35. **वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास:** मंत्रालय के पास देश के वन्य जीवों की रक्षा के लिए दो मुख्य योजनाएं हैं, अर्थात् प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी और वन्यजीव पर्यावासों का विकास। इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी 2 अलग-अलग योजनाएं थीं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी के रूप में विलयित कर दिया गया है।